संख्या- 08/2019/ 1314/33-2-2019

प्रेषक,

प्रीति शुक्ला,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- उपनिदेशक,
जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक,
उ0प्र0, लखनऊ ।

2- समस्त अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 14 अक्टूबर, 2019

विषय :मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा रिट पिटीशन (क्रिमिनल) संख्या-665-70/92 विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13-08-1997 के अनुपालन हेतु भारत सरकार द्वारा दिनांक 09 दिसम्बर, 2013 को निर्गत किये गये अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त् विषयक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की ओर से निर्गत महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-01मु0मं0/60-3-14-13(7)/14 दिनांक 09 जून, 2014 (प्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से इस विषय में पूर्व में निर्गत किये गये समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा रिट पिटीशन (क्रिमिनल) संख्या-665-70/92 विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13-08-1997 के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा दिनांक 09 दिसम्बर 2013 को निर्गत किये गये महिलाओं का कार्यस्थल पर लैगिंक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013, जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली की बेवसाइट **www.wcd.nic.in** पर उपलब्ध है, के दिशा-निर्देशों के अनुसार अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत अन्तरिक परिवाद समिति एवं धारा-7 के अन्तर्गत् स्थानीय परिवाद समिति का गठन किया जाना है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया आप अपने-अपने अधीनस्थ कार्यालयों में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित महिलाओं का कार्यस्थल पर लैगिंक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के प्रावधानों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अधिनियम में उल्लिखित "अन्तरिक परिवाद समिति" एवं "स्थानीय परिवाद समिति" का गठन तत्काल कराने का कष्ट करें तथा अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध करायें ।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीया,

प्रीति शुक्ला
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:08 /2019/1314(1)/33-2-2019, तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अध्यक्ष, समस्त जिला पंचायतें, उ0प्र0।

2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

3- समस्त मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उ0प्र0।

4- समस्त वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायतें, उ0प्र0।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अवधेश कुमार खरे
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।